



केंद्रीय पेट्रोसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) - अमृतसर
Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology (CIPET) - Amritsar
रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार
Department of Chemicals & Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Govt. of India
पी.ओ. रेयॉन एंड सिल्क मिल्स, पॉलिटेक्निक रोड, एडज: जीएनडीयू, अमृतसर - 143104 (पंजाब)
P.O. Rayon & Silk Mills, Govt. Polytechnic Road, Adjacent to GNDU, Amritsar -143104 (Punjab)

सिपेट: सीएसटीएस/एसआर/एडमिन/आदेश /2023-24/16
CIPET: CSTS/ASR/ADMIN/ORDER/2023-24/16

दिनांक:- 04.09.2023
Date: - 04.09.2023

कार्यालय आदेश /Office Order
[16/2023]

विषय :- सिपेट, अमृतसर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समिति का पुनर्गठन- संबंधित
Sub: Re-Constitution of Scheduled Caste & Schedule Tribes Committee at CIPET, Amritsar-reg.

यह समिति एआईसीटीई और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की संख्या 33, दिनांक 11.09.1989 के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गई है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य समिति का गठन किया गया है।
/This committee is formed as per the guidelines of AICTE and Scheduled Caste & Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) act 1989, No.33 dated 11.09.1989, committee for SC/ST is constituted to prevent offences of atrocities against the member of SC/ST.

Sr. No.	Name of the Official	Designation	Responsibility	Contact No.
1	Shri B. Nandagopal	STO	Member	7082727071
2	Shri Amit Chawla	Officer(F&A)	Member	9541024000
3	Smt. Jatinder Kaur	STA(SG)	Member	9317611088
4	Shri Gurmit Singh	STA(SG)	Member	9779595317
5	Shri Gurjit Singh	SA(SG)	Member	9888115544
6	Shri Harjinder Singh	MTS Gr. II	Member	8146462191

संबंधित कर्मचारी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र और उनके माता-पिता उपरोक्त अधिनियम के दायरे में आने वाली किसी भी शिकायत के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए समिति से संपर्क कर सकते हैं।/Concerned employees, SC/ST students and their parents may hence forth approach the committee for SC/ ST for any complaint that falls under the purview of above act.


संयुक्त निदेशक एवं प्रमुख
Joint Director & Head

To: -

1. सभी संबंधित/All concerned
2. सूचना पट्ट/Notice Board